

न्यायालय:- आसिफ अहमद अब्बासी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, तहसील चंदेरी
चन्देरी जिला-अशोकनगर म0प्र0

दांडिक प्रकरण क-587 / 14

संस्थित दिनांक-07.10.2014

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा
आरक्षी केन्द्र पिपरई
जिला अशोकनगर।

.....अभियोजन

विरुद्ध

दिलबाग सिंह पुत्र लख्खा सिंह उम्र 37 साल,
निवासी ग्राम गरेठी

.....अभियुक्त

—: निर्णय :-

(आज दिनांक 30.10.2017 को घोषित)

- 01—अभियुक्त के विरुद्ध भा0द0वि0 की धारा 498 ए, 494, 323 व 506 बी दण्डनीय अपराध के आरोप है कि उसने दिनांक-23.06.2014 को गरेठी चक में फरियादी सतविन्दर कौर के पति होते हुये, उसके जीवन काल में मंजीत कौर से विवाह किया जो कि फरियादी के जीवन काल में होने से शून्य था तथा फरियादी को प्रताडित कर उसके साथ क्रूरता कारित की एवं मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित कर जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्राष कारित किया।
- 02—अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी का विवाद दिलबाग से सिख रीति रिवाज से हुआ था। सतविन्दर कौर व दिलबाग के दो पुत्र हैं, कुछ दिनों से दिलबाग सतविन्दर के साथ बिना किसी कारण के मारपीट करता रहता था। दिनांक 23.06.2014 को दिलबाग सिंह ने पडोस में रहने वाली मंजीत कौर से अवैध रूप से विवाह कर लिया और घर ले आया और कहा अब ये मेरी पत्नी है, और शपथ पत्र की प्रति दे दी। सतविन्दर के द्वारा मना करने पर उसके साथ मारपीट की और दिलबाग बोला तुझे नही रखूंगा। ज्यादा करेगी तो जान से खत्म कर दूंगा। सतविन्दर के रहते हुये दिलबाग ने मंजीत से दूसरी शादी कर ली और सतविन्दर और उसके बच्चों को भगाना चाहता है। फरियादी सतविन्दर द्वारा पुलिस थाना पिपरई में अभियुक्तगण के विरुद्ध रिपोर्ट लेखबद्ध कराई। फरियादी की रिपोर्ट पर से अभियुक्तगण के विरुद्ध पुलिस थाना पिपरई के अपराध क्रमांक-238 / 14 अंतर्गत धारा- 498 ए, 494 व 506, 34 भा0द0वि0 के तहत

प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण में विवेचना की गई बाद आवश्यक विवेचना उपरांत अभियोग पत्र विचारण हेतु न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

03—प्रकरण में उल्लेखनीय है कि दिनांक-27.10.2017 को फरियादी सतविंदर द्वारा अभियुक्त दिलबाग सहित सह अभियुक्त मंजीत से राजीनामा करने बाबत आवेदन अंतर्गत धारा 320 (2) व 320 (8) दफ़्त के प्रस्तुत किये गये जिन्हें स्वीकार करते हुये अभियुक्तगण को भादवि की धारा 494, 323 अथवा 323/34 व 506 बी के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया गया था। अभियुक्त दिलबाग पर आरोपित भा0द0वि0 की धारा 498 (ए) शमनीय प्रकृति की न होने से उक्त धारा के तहत अभियुक्त दिलबाग पर विचारण किया गया।

05—प्रकरण के निराकरण में निम्न विचारणीय प्रश्न हैं :—

1.	क्या अभियुक्त दिलबाग ने दिनांक 23.06.2014 को गुरेठी चक में फरियादी सतविन्दर कौर के पति होते हुये फरियादी को प्रताडित कर उसके साथ क्रूरता कारित की ?
2.	दोष सिद्धि अथवा दोष मुक्ति ?

—:: सकारण निष्कर्ष ::—

06— प्रकरण में हुये राजीनामे एवं अभिलेख पर आई साक्ष्य को देखते हुये प्रकरण फरियादी सतविन्दर कौर (अ0सा0-1) सहित उसकी मां कश्मीर कौर (अ0सा0-2) व भाई प्रताप (अ0सा0-3) व एव भाई दिलबाग (अ0सा0-4) के कथन न्यायालय में कराये गये। फरियादी सतविन्दर कौर (अ0सा0-1) का अपने न्यायालीन कथनों में कहना है। अभियुक्त से उसका विवाह 17-18 साल पहले हुआ था। तीन चार वर्ष पूर्व उसकी अभियुक्त से उसकी कहा सुनी हो गई थी और वह अपने भाई के साथ मायके चली गई थी। इस साक्षी के अनुसार उसका विवाह इस कारण से हुआ था अभियुक्त पडोसी मंजीत कौर से बातचीत करता था, जो उसे पसंद नहीं है।

- 07- फरियादी सतविन्दर कौर (अ0सा0-1) का कहना है कि जब उसे अभियुक्त कई दिनों तक लेने नहीं आया, तो उसके चाचा ने उसे थाने साथ ले जाकर अभियुक्त की शिकायत की थीं। जिसकी उसे जानकारी नहीं है। इस साक्षी का यह कहना है कि प्रदर्श-पी-1 के आवेदन एवं रिपोर्ट प्रदर्श-पी-2 पर उसके हस्ताक्षर अवश्य हैं, परन्तु उन दस्तावेजों में क्या लिखा है। इसकी जानकारी उसे नहीं है।
- 08- फरियादी सतविन्दर कौर (अ0सा0-1) ने मात्र अभियुक्त से अपना विवाद इस कारण बताया है कि वह पडोस में रहने वाली मंजीत से बातचीत करता था। इस साक्षी ने अपने मुख्यपरीक्षण में इस संबंध में कोई कथन नहीं दिये है कि वास्तव में अभियुक्त के उसके साथ मारपीट कर उसे प्रताड़ित करता था या अभियुक्त ने दूसरा विवाह कर उसके साथ मानसिक क्रूरता कारित की। फरियादी की मां कश्मीर कौर (अ0सा0-2) सहित भाई प्रताप सिंह (अ0सा0-3) का अपने मुख्यपरीक्षण में यह तो कहना है कि फरियादी सतविंदर का अभियुक्त से झगडा हो गया था, परन्तु इन दोनों ही साक्षियों ने झगडा होने का कोई कारण अपने कथनों में नहीं बताया। वहीं दिलबाग सिंह (अ0सा0-4) जो कि फरियादी का भाई है घटना की जानकारी होने से ही इन्कार करता है।
- 09- फरियादी सतविन्दर कौर (अ0सा0-1) सहित सभी अभियोजन साक्षियों के द्वारा आरोपित अपराध के संबंध में अभियोजन का समर्थन न करने के कारण अभियोजन के द्वारा उन्हें पक्ष विरोधी कर उनका विस्तृत परीक्षण किया गया, परन्तु स्वयं फरियादी सहित किसी भी साक्षी ने आरोपित अपराध के संबंध में अभियोजन के समर्थन में कोई कथन नहीं दिये। सतविंदर कौर (अ0सा0-1) जहां इस बात का स्पष्ट खण्डन करती है उसके पति के सह अभियुक्त मंजीत से संबंध है तथा पति ने दूसरी शादी कर ली है। वहीं फरियादी इस बात का भी खण्डन करती है अभियुक्त उसे मारता था एवं जान से मारने की धमकी देता था। फरियादी प्रदर्श-पी-1 का आवेदन भी चाचा के द्वारा थाने पर दिया जाना बताती है तथा पुलिस प्रदर्श-पी-1 सहित प्रदर्श-पी-2 की रिपोर्ट एवं प्रदर्श-पी-3 के कथन में उल्लेखित घटना पढकर सुनाये जाने पर उसका कहना है उसने ऐसी कोई घटना लेख नहीं कराई।
- 10- कश्मीर कौर (अ0सा0-2) प्रताप सिंह (अ0सा0-3) व दिलबाग (अ0सा0-4) ने पुलिस को कथन देने से इंकार करते हैं तथा कश्मीर कौर (अ0सा0-2) का अपने कथनों में ही कहना है कि उसकी लडकी व पति के मध्य मामूली

पारिवारिक झगडा था। वही प्रताप सिंह (अ0सा0-3) जो कि फरियादी का भाई है, अपने कथनों में यह कहता है कि उसकी बहन अभियुक्त पर अनावश्यक संदेह करती थीं। वहीं दिलबाग (अ0सा0-4) अभियुक्त दिलबाग से मंजीत के संबंध व दूसरी शादी को अफवाह होना बताता है। अतः फरियादी सहित उसके परिवार के सदस्यों के द्वारा दी गई साक्ष्य से यह स्पष्ट होता है कि अभियुक्त व फरियादी के मध्य मात्र मंजीत से अभियुक्त की बातचीत को लेकर विवाद था जो कि मात्र एक पत्नी का पति पर दूसरी महिला को लेकर संदेह होने के कारण था। जो कि आम पारिवारिक घटना है। अभियुक्त के द्वारा फरियादी को किसी प्रकार की कोई मारपीट या जान से मारने की धमकी दी गई। इस आशय की कोई साक्ष्य अभिलेख पर नहीं हैं, वहीं अभियुक्त के द्वारा दहेज की मांग की न तो कोई शिकायत है न ही इस संबंध में कोई कथन साक्षियों के द्वारा दिये गये।

11- अतः अभिलेख पर जो साक्ष्य उपलब्ध है उसके अनुसार अभियुक्त और फरियादी के मध्य पति-पत्नी के बीच होने वाले वैचारिक मतभेद एवं घरेलू विवाद थे। अब देखा ये जाना है कि वास्तव में ऐसे विवाद भा0द0वि0 की धारा 498 (ए) के अपराध की श्रेणी में आते हैं अथवा नहीं।

12- यहां भा0दं0वि0 की धारा 498 (ए) का उल्लेख किया जाना उचित होगा। धारा 498 (ए) के अनुसार-

जो कोई, किसी स्त्री का पति या पति का नातेदार होते हुए, ऐसी स्त्री के प्रति क्रूरता करेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

स्पष्टीकरण:-इस धारा के प्रयोजनों के लिये, “क्रूरता” से निम्नलिखित अभिप्रेत है-

(क) जानबूझकर किया गया कोई आचरण जो ऐसी प्रकृति का है जिससे उस स्त्री को आत्महत्या करने के लिये प्रेरित करने की या उस स्त्री के जीवन, अंग या स्वास्थ्य को (जो चाहे मानसिक हो या शारीरिक) गम्भीर क्षति या खतरा कारित करने की सम्भावना है; या

(ख) किसी स्त्री को इस दृष्टि से तंग करना कि उसको या उसके किसी नातेदार को किसी सम्पत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति की कोई मांग पूरी करने के लिये प्रपीडित किया जाए या किसी स्त्री को इस कारण तंग करना कि उसका कोई नातेदार ऐसी मांग पूरी करने में असफल रहा है।

- 12— धारा 498 (ए) में उल्लेखित शब्द कूरता को स्पष्ट करने के लिये उक्त धारा के स्पष्टीकरण में दो खण्ड (क) तथा (ख) का उल्लेख किया गया है अतः ऐसे में धारा 498 (ए) के अपराध के लिये यह अभिनिर्धारित किया जाना है कि उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर कूरता खण्ड (क) के अधीन आती है या खण्ड (ख) के अधीन, या दोनों खण्डों की अधीन आती है। अभियोजन घटना के अनुसार फरियादी के साथ दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ना का आरोप तो अभियुक्त पर है, न ही इस संबंध में फरियादी सहित किसी भी साक्षी ने कोई कथन दिये हैं। बल्कि अभिलेख पर आई साक्ष्य से अभियुक्त व फरियादी के मध्य पति और पत्नी के बीच मामूली झगडा होना प्रतीत होता है जो कि सामान्यतः वैवाहिक जीवन में होता रहता है।
- 13— अभिलेख पर फरियादी सहित अन्य किसी भी साक्षी ने ऐसे कोई कथन नहीं दिये हैं जिससे यह दर्शित होता हो कि अभियुक्त के द्वारा फरियादी के साथ किया गया आचरण फरियादी सतविन्दर कौर (अ0सा0-1) को आत्महत्या करने के लिये या जीवन, अंग या स्वास्थ्य को (जो चाहे मानसिक हो या शारीरिक) गम्भीर क्षति या खतरा उत्पन्न करता हो। पति-पत्नी के मध्य वैचारिक मतभेद एवं मामूली घरेलू विवाद वैवाहिक जीवन का एक भाग होता है अतः ऐसे मामूली विवाद 498 (ए) के स्पष्टीकरण के खण्ड क की श्रेणी में नहीं आते।
- 14— अभिलेख पर इस आशय की कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है कि अभियुक्त ने फरियादी सतविन्दर कौर (अ0सा0-1) के साथ जानबूझकर ऐसा कोई आचरण किया जिससे फरियादी आत्महत्या करने के लिये प्रेरित हो या फरियादी के जीवन, अंग या मानसिक अथवा शारीरिक रूप से गम्भीर क्षति या खतरा कारित करने की सम्भावना थी। वहीं फरियादी सहित अभियोजन साक्षियों के द्वारा अभियोजन के समर्थन में कथन देने से अभिलेख पर इस आशय की भी कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, जिससे यह प्रमाणित हो सके कि अभियुक्त ने फरियादी सतविन्दर कौर (अ0सा0-1) को या उसके माता पिता को दहेज की कोई मांग पूरी करने के लिये प्रपीडित किया अथवा उक्त कारण से फरियादी को तंग किया कि फरियादी माता पिता ऐसी मांग पूरी करने में असफल रहा है।
- 15—फलतः अभियुक्तगण दिलबाग सिंह पुत्र लख्खा सिंह के विरुद्ध को कारित हुयी उपहति के संबंध में भा0दं0वि0 की धारा 498 (ए) के आरोप प्रमाणित न होने से उन्हें भा0दं0वि0 की धारा 498 (ए) के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप

में दोष मुक्त घोषित किया जाता है।

- 16—अभियुक्त की न्यायिक निरोध में गुजारी गई अवधि दण्ड में समायोजित की जावे। धारा 428 द0प्र0सं0 का प्रमाण पत्र तैयार किया जावे। अभियुक्त के उपस्थिति संबंधी जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं। प्रकरण में जुप्तशुदा संपत्ति कुछ नहीं। अपील होने की दशा मान्नीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन हो।

निर्णय पृथक से टंकित कर विधिवत
हस्ताक्षरित व दिनांकित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(आसिफ अहमद अब्बासी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)

(आसिफ अहमद अब्बासी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)